बिहार लोक सेवा आयोग

15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना– 800001

आवश्यक सूचना

विज्ञापन संख्या– 26/2023, अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा

बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवम् सेवाशर्त) नियमावली, 2023 के तहत प्राथमिक शिक्षक (वर्ग 1–5) के पदों पर नियुक्ति नियमावली, 2023 की कण्डिका– 5 (ii) में NCTE द्वारा समय–समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवम् प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो अंकित है।

शिक्षक प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि के मान्यता के बिन्दु पर अथवा किसी उपाधि विशेष की समतुल्यता के बिन्दु पर किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) के परामर्श से विभाग का निर्णय अन्तिम होगा।

इस सम्बन्ध में शिक्षा विभाग, बिहार के पत्रांक– 958, दिनांक 29.05.2023 के आलोक में राज्य सरकार का निर्णय है कि NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो उसे कक्षा 1–5 तक पढ़ाने के लिए विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा, स्पष्ट किया गया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने Writ Petition (Civil) No.- 661/2023, Bhagwan Krishna Versus The Union of India & ANR में दिनांक 28.08.2023 को न्यायादेश पारित करते हुए उच्चतम न्यायालय के SLP (C) No. 20743/2021 "Devesh Sharma Vs. Union of India & Ors. से उदभूत Civil Appeal No.- 5068/2023 में दिनांक 11.08.2023 को पारित न्यायादेश के आलोक में "NCTE" के दिनांक 08.06.2018 को निर्गत अधिसूचना को खारिज किया गया है, साथ ही, उल्लेख किया गया है कि "The State of Bihar is not a party before this Court in this petition. As such, we make no comment as regards the notification issued by the State of Bihar, the legality of which have been challenged in this writ petition. But this Court expects that the state of **Bihar Shall take into account the Judgement of this court delivered on 11.08.2023"**

उक्त आदेश के अनुपालन में शिक्षा विभाग के पत्रांक– 2170, दिनांक 09.10.2023 द्वारा संसूचित किया गया है कि सिविल अपील नम्बर– 5068/2023 (देवेश शर्मा बनाम भारत सरकार एवम् अन्य) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन करते हुए प्राथमिक विद्यालयों के मूल कोटि के अध्यापक का परीक्षाफल प्रकाशित करने की अग्रेतर कार्रवाई की जाय। उक्त आदेश के आलोक में आयोग द्वारा परीक्षाफल प्रकाशित किया गया है।

फिर भी यदि इससे सम्बन्धित किसी अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय अथवा सक्षम न्यायालय का अन्यथा आदेश पारित होता है तो उसके फलाफल से परीक्षाफल प्रभावित होगा।

18.10.2023

संयुक्त सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना